राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजनेस मान्यता देण्याबाबत...

**महाराष्ट्र शासन**
**कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३२/पदुम-३**
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२
दिनांक: ०८ मार्च, २०१९

वाचा:- (१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.पविआ-२०१६/प्र.क्र.११४/पदुम-३, दिनांक २६.०४.२०१७
(२) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग, क्र. पविआ-१०१७/प्र.क्र.१०५/पदुम-३, दिनांक ०८.०९.२०१७

प्रस्तावना :-

राज्यात दि.४ मार्च, २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. तसेच, गाय, बैल, वळू यांच्या कत्तलीसाठी परराज्यात करावयाची वाहतूक व तदनुषंगीक खरेदी / विक्री करण्यास देखील प्रतीबंध करण्यात आलेला आहे. परिणामी, कालांतराने शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून, या सर्व पशुधनाचा सांभाळ / संगोपन करणे आवश्यक ठरणार आहे.

२. राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत **गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र** ही नवीन योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ जिल्ह्यात राबविण्यासाठी वाचा क्र. १ येथील दिनांक- २६ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. सदर योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजना राबविण्यासाठी दिनांक- ०८ मार्च, २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय:-

४. गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक / निरुपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता या विभागाच्या क्र. पविआ-२०१६/प्र.क्र.११४/पदुम-३, दिनांक २६.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आलेली **"गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र"** ही योजना रद्द करुन, खालीलप्रमाणे सुधारीत **"गोवर्धन**

**गोवंश सेवा केंद्र"** ही सुधारीत योजना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये राबविण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात आहे.

(१) राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ जिल्ह्यातील १७९ महसूली उपविभागापैकी, ज्या महसुली उपविभागामध्ये यापूर्वीच्या **गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र** या योजनेंतर्गत ज्या गोशाळेसाठी अनुदान मंजूर वा प्रस्तावीत करण्यात आले आहे, असे ३७ महसूली उपविभाग, त्याचप्रमाणे ३ शहरी महसूली उपविभाग असे एकूण ४० उपविभाग वगळून, सोबतच्या **परिशिष्ट - अ** मध्ये नमूद केलेल्या १३९ महसूली उपविभागांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात येत आहे.

(२) सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये सोबतच्या **परिशिष्ट-"अ"** येथे नमूद केलेल्या ३४ जिल्ह्यातील १३९ महसूली उपविभागामधून, प्रत्येकी १ याप्रमाणे १३९ गोशाळांची अनुदानासाठी निवड करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

(३) सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेस पहिल्या टप्प्यात ₹ १५.०० लक्ष व दुसऱ्या टप्प्यात ₹ १०.०० लक्ष, असे एकूण ₹ २५.०० लक्ष एवढे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(४) मुंबई व मुंबई उपनगर या २ जिल्ह्यातील अनुत्पादक / भाकड गायी व गोवंश असल्यास, त्यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील यापुर्वी अनुदान मंजूर केलेल्या, त्याचप्रमाणे प्रस्तुत योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या गोशाळेकडे वर्ग करण्यात यावे.

**५. योजनेचे उद्देश :-**

**(अ) <u>मुलभूत उद्देश-</u>**

(१) दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या / असलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे.

(२) अशा पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे.

(३) गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे.

(४) गोमूत्र, शेण इ. पासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप-पदार्थांच्या निर्मीतीस प्रोत्साहन /चालना देणे.

**(ब) विविध विभागाच्या/संस्थांच्या सहकार्याने पशुसंवर्धन विषयक उपक्रम राबविणे :-**

(१) राज्याच्या पशुपैदाशीच्या प्रचलीत धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरीता, संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायींमध्ये शुध्द देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरुन कृत्रिम रेतन करुन घेण्यात यावे.

(२) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करुन देण्यात यावीत.

(३) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली उर्वरीत नर वासरे व कालवडी यांची मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात यावी.

(४) संस्थेमधील पशुधनामध्ये आंतरपैदास झाल्यास निर्माण होणाऱ्या नर वासरे / कालवडी यांची वाढ खुंटणे, कालवडी उशिरा माजावर येणे, वेळीच गर्भधारणा न होणे, गर्भपात होणे इत्यादी विपरीत परीणाम होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी संस्थेमधील वळूंचे खच्चीकरण करण्यात यावे.

(५) संस्थेने प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाचे स्वतंत्र हिशोब ठेवावेत व सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावेत.

(६) महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाद्वारे दुग्धव्यवसाय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी दूध संघ, पशुपैदासकाराच्या संघटना आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचेशी समन्वय ठेवून त्यांचा सक्रिय सहभाग मिळविणे .

**६. <u>लाभार्थी निवडीचे निकष / अटी व शर्ती</u> :-**

(१) सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी.

(२) संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असावा.

(३) केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण / चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान ०५ एकर जमीन असावी.

(४) संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भाग-भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.

(५) संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे.

(६) संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.

(७) संबंधीत संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बॅकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

(८) संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी / मजूर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी.

(९)या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.

(१०) ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पनाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.

(११)प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच,₹ २५.०० लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदर अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये ₹ १५.०० लक्ष व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ₹ १०.०० लक्ष असे वितरीत करण्यात येईल.

(१२) प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.

७. **<u>या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान देय ठरेल</u>:-**

(अ) पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर / बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी, अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरीता अनुदान देण्यात यावे. याकरिता संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकरिता या योजनमधून अनुदान मिळणार नाही.

(ब) कृषि / पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हास्तरीय विविध योजनांमधून, चारा उत्पादनांच्या योजनामधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी बियाणे, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उत्पादन / ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी लाभ अनुज्ञेय राहतील.

(क) तसेच विद्युत जोडणी आवश्यक असल्यास "कृषि / कृषिपंप" या बाबी अंतर्गत प्रचलित योजनेमधून या गोशाळांनी विद्युत जोडणी प्राप्त करुन घ्यावी. या लाभासाठी प्रस्तुत योजनेमधून अनुदान देय होणार नाही.

(ड) याशिवाय या गोशाळांनी रुग्ण पशुधनास आवश्यक असलेल्या पशुवैद्यकीय सेवा जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत उपलब्ध करुन घ्याव्यात.

८. **<u>"गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र" या योजनेतंर्गत लाभार्थी गोशाळांची निवड</u> :-**

**(अ)** या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार खालील गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निवड समितीस राहतील:-

**राज्यस्तरीय निवड समितीची संरचना :-**

| | |
|---|---|
| (१) मा. मंत्री (पदुम) | अध्यक्ष |
| (२) मा. राज्यमंत्री (पदुम) | उपाध्यक्ष |
| (३) प्रधान सचिव / सचिव (पदुम) | सदस्य |
| (४) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सदस्य |
| (५) प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांनी नामनिर्देशीत केलेला उपसचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी | सदस्य |
| (६) प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांनी नामनिर्देशीत केलेला उपसचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी | सदस्य |
| (७) तीन अशासकीय सदस्य | सदस्य |
| (८) उप सचिव / सह सचिव (पशुसंवर्धन) | सदस्य सचिव |

**(ब)** या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास राहतील.

**(क)** राज्यस्तरीय निवड समितीवर **वाचा क्र. (२)** येथील क्र. पविआ-१०१७/प्र.क्र.१०५/पदुम-३, दिनांक ०८.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षाचा राहील.

११. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेने सदर योजनेप्रमाणे बांधकाम, विद्युत्तीकरण, इत्यादी बाबी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे जिल्हास्तरावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करुन घ्यावे.

१२. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये १३९ महसूली उपविभागामधील प्रत्येकी १ याप्रमाणे १३९ गोशाळांसाठी रु. ३४.७५ कोटी एवढे अनुदान प्रस्तुत राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

१३. सदर योजनेतील अनुदानासाठीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे सादर करावा.

१४. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची प्राथमिक छानणी करुन, प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठवावा.

१५. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह, प्रस्ताव राज्यस्तरीय निवड समितीची मान्यता घेण्यासाठी शासनास सादर करावा.

१६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१८००२६७६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Vikas Tulshiram Kadam

Digitally signed by Vikas Tulshiram Kadam
DN: CN = Vikas Tulshiram Kadam, C = IN, S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = Agriculture and ADF Dept
Date: 2019.03.08 19:02:28 +05'30'

**(विकास तु. कदम)**
**अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत,**

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७.
३. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून)
४. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
५. मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
६. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.

७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
९. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त,
१०.सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर.
१२.वित्त विभाग, (व्यय-२ / अर्थ-१५) मंत्रालय, मुंबई-३२.
१३.नियोजन विभाग, (कार्या. १४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२.
१४.निवड नस्ती (पदुम- ३)

**(शासन निर्णय क्र. पविआ-१०१८/प्र.क्र.३२/पदुम-३, दिनांक - ८ मार्च, २०१९ चे सहपत्र)**

**परिशिष्ट - "अ"**

**गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत निवडीसाठी पात्र तसेच निवड करावयाच्या महसूली उपविभागांचा जिल्हानिहाय तपशील**

| अ.क्र. | महसूली विभाग | जिल्हा | अ. क्र | महसुली उपविभागाचे नांव | योजनेमध्ये निवडीसाठी पात्र उपविभागांची जिल्ह्यानिहाय संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | **कोकण (२७)** | ठाणे | १ | उपविभागीय अधिकारी, भिवंडी | २ |
| २ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर | |
| ३ | | पालघर | १ | उपविभागीय अधिकारी, पालघर | ५ |
| ४ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, वसई | |
| ५ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, डहाणू, | |
| ६ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, वाडा, | |
| ७ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, जव्हार, | |
| ८ | | रायगड | १ | उपविभागीय अधिकारी, अलीबाग | ७ |
| ९ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, पनवेल | |
| १० | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, माणगांव | |
| ११ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, महाड, | |
| १२ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, पेण, | |
| १३ | | | ६ | उपविभागीय अधिकारी, रोहा | |
| १४ | | | ७ | उपविभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन | |
| १५ | | रत्नागीरी | १ | उपविभागीय अधिकारी, रत्नागीरी | ४ |
| १६ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, राजापूर | |
| १७ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, खेड, | |
| १८ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, दापोली, | |
| १९ | | सिंधुदूर्ग | १ | उपविभागीय अधिकारी, कणकवली, | ३ |
| २० | | | २ | उपविभागीय अधिकारी,  सावंतवाडी, | |
| २१ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, कुडाळ, | |
| २२ | **पुणे (३२)** | पुणे | १ | उपविभागीय अधिकारी, मावळ, | ७ |
| २३ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, हवेली, | |
| २४ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, भोर, | |
| २५ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, राजगुरुनगर-खेड, | |
| २६ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, जुन्नर, आंबेगांव मंजर, | |
| २७ | | | ६ | उपविभागीय अधिकारी, दौड-पुरंदर, | |
| २८ | | | ७ | उपविभागीय अधिकारी, बारामती, | |
| २९ | | सातारा | १ | उपविभागीय अधिकारी, सातारा | ७ |
| ३० | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, फलटण, | |
| ३१ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, कोरेगांव, | |
| ३२ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, पाटण | |
| ३३ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, माण- खटाव | |
| ३४ | | | ६ | उपविभागीय अधिकारी, कडेगांव | |
| ३५ | | | ७ | उपविभागीय अधिकारी, कराड | |
| ३६ | | सांगली | १ | उपविभागीय अधिकारी, वाळवा, | ३ |
| ३७ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी,जत | |
| ३८ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, विटा | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ३९ | | सोलापूर | १ | उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र २ | ५ |
| ४० | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, माळशिरस, | |
| ४१ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा, | |
| ४२ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, पंढरपूर, | |
| ४३ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, माढा, | |
| ४४ | | कोल्हापूर | १ | उपविभागीय अधिकारी, इचलकरंजी, | ५ |
| ४५ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, राधानगरी, | |
| ४६ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज, | |
| ४७ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, भूदरगड, | |
| ४८ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, पन्हाळा, | |
| ४९ | **नागपूर (२९)** | नागपूर | १ | उपविभागीय अधिकारी, मौदा, | ४ |
| ५० | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, उमरेड, | |
| ५१ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, काटोल, | |
| ५२ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, सावनेर | |
| ५३ | | भंडारा | १ | उपविभागीय अधिकारी, साकोली, | २ |
| ५४ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, तुमसर, | |
| ५५ | | चंद्रपूर | १ | उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर | ७ |
| ५६ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, राजुरा, | |
| ५७ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, मुल, | |
| ५८ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, वरोरा | |
| ५९ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, चिमूर, | |
| ६० | | | ६ | उपविभागीय अधिकारी, गोंडपिंपरी | |
| ६१ | | | ७ | उपविभागीय अधिकारी, बल्लारपूर | |
| ६२ | | गडचिरोली | १ | उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली | ५ |
| ६३ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, वडसा देसाईगंज | |
| ६४ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, | |
| ६५ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली, | |
| ६६ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, चामोशी | |
| ६७ | | गोंदिया | १ | उपविभागीय अधिकारी, तिरोडा, | २ |
| ६८ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, अहेरी | |
| ६९ | | वर्धा | १ | उपविभागीय अधिकारी, हिंगणघाट, | २ |
| ७० | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, वर्धा | |
| ७१ | **नाशिक (२८)** | नाशिक | १ | उपविभागीय अधिकारी, मालेगांव, | ८ |
| ७२ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, चांदवड, | |
| ७३ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, निफाड, | |
| ७४ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, येवला, | |
| ७५ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, कळवण, | |
| ७६ | | | ६ | उपविभागीय अधिकारी, सटाणा, | |
| ७७ | | | ७ | उपविभागीय अधिकारी, इगतपूरी- त्र्यंबकेश्वर | |
| ७८ | | | ८ | उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी, | |
| ७९ | | अहमदनगर | १ | उपविभागीय अधिकारी, कर्जत, | ५ |
| ८० | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर, | |
| ८१ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर, | |
| ८२ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर | |
| ८३ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी, | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ८४ | | जळगांव | १ | उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा, | ५ |
| ८५ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर, | |
| ८६ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, एरंडोर, | |
| ८७ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ, | |
| ८८ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगांव | |
| ८९ | | धुळे | १ | उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर | १ |
| ९० | | नंदुरबार | १ | उपविभागीय अधिकारी, शहादा, | २ |
| ९१ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, तळोदा | |
| ९२ | **अमरावती (२७)** | अमरावती | १ | उपविभागीय अधिकारी, मोर्शी, | ५ |
| ९३ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, दर्यापूर, | |
| ९४ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, भातुकली- तिवसा | |
| ९५ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, अचलपूर | |
| ९६ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, धारणी | |
| ९७ | | अकोला | १ | उपविभागीय अधिकारी, अकोट, अकोला | ३ |
| ९८ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, बाळापूर, अकोला | |
| ९९ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, मुर्तिजापूर | |
| १०० | | बुलढाणा | १ | उपविभागीय अधिकारी, खामगांव, | ५ |
| १०१ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, बुलढाणा | |
| १०२ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, मलकापूर | |
| १०३ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, मेहकर, | |
| १०४ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, सिंधखेडराजा, | |
| १०५ | | वाशिम | १ | उपविभागीय अधिकारी, वाशिम | २ |
| १०६ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, कारंजा, | |
| १०७ | | यवतमाळ | १ | उपविभागीय अधिकारी, वणी | ५ |
| १०८ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड | |
| १०९ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, केळापूर/ पांढरकवडा | |
| ११० | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, पुसद, | |
| १११ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, राळेगांव | |
| ११२ | **औरंगाबाद (३८)** | औरंगाबाद | १ | उपविभागीय अधिकारी, सिल्लोड, | ४ |
| ११३ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, पैठण-फुलंब्री | |
| ११४ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, वैजापूर | |
| ११५ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, कन्नड, | |
| ११६ | | बीड | १ | उपविभागीय अधिकारी, माजलगांव, | ३ |
| ११७ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, अंबेजोगाई, | |
| ११८ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा, | |
| ११९ | | जालना | १ | उपविभागीय अधिकारी, परतूर, | ३ |
| १२० | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, भाकरदन, | |
| १२१ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, अंबड | |
| १२२ | | उस्मानाबाद | १ | उपविभागीय अधिकारी, उस्मानाबाद | ३ |
| १२३ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, कळंब | |
| १२४ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, उमरगा, | |
| १२५ | | नांदेड | १ | उपविभागीय अधिकारी, नांदेड | ६ |
| १२६ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद, | |
| १२७ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, हदगांव, | |
| १२८ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, किनवट, | |
| १२९ | | | ५ | उपविभागीय अधिकारी, बिलोली | |
| १३० | | | ६ | उपविभागीय अधिकारी, कंधार, | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| १३१ | | परभणी | १ | उपविभागीय अधिकारी, परभणी | ३ |
| १३२ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, पाथरी, | |
| १३३ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, सेलु, | |
| १३४ | | लातूर | १ | उपविभागीय अधिकारी, लातूर | ४ |
| १३५ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, अहमदपूर, | |
| १३६ | | | ३ | उपविभागीय अधिकारी, निलंगा, | |
| १३७ | | | ४ | उपविभागीय अधिकारी, औसा/रेणापूर, | |
| १३८ | | हिंगोली | १ | उपविभागीय अधिकारी, वसमत, हिंगोली | २ |
| १३९ | | | २ | उपविभागीय अधिकारी, कळमनुर, हिंगोली | |
| | | | | **एकूण** | १३९ |

********